।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सौठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजोर

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/24 तारीख रज्जू 23.09.2021

देशराज पुत्र श्री राधाराम

01– प्रकाश देवी पत्नी स्व० श्री प्रकाश

02– सतीश कुमार पुत्र स्व० श्री प्रकाश

03– विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री प्रकाश

04– कमलेश कुमारी पत्नी स्व० श्री राजकुमार पुत्रवधु स्व० श्री प्रकाश

05– अरूण कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार पौत्र स्व० श्री प्रकाश

06– धीरज कुमार पुत्र स्व० श्री राजकुमार पौत्र स्व० श्री प्रकाश

07– पूरण चन्द पुत्र स्व० श्री केसर

08– राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री केसर जाति समस्त जाट निवासियान चिकानी तहसील अलवर

09–

10– सविता कुमारी पुत्री स्व० श्री प्रकाश पत्नी श्री सतीश चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम बलदेव बास तहसील व जिला अलवर

11– पूरण देवी पुत्री केसर पत्नी दलीप कुमार जाति जाट निवासी किथूरबास

12– वेदकुमारी पुत्री केसर पत्नी यशवन्त निवासी ग्राम बलदेवबास तहसील व जिला अलवर

13– कमलेश कुमारी पुत्री केसर पत्नी दलबीर जाति जाट निवासी ग्राम किथुरबास तहसील व जिला अलवर

14– अराधना पुत्री राजकुमार पौत्री स्व० प्रकाश पत्नी दीपक कुमार जाति जाट निवासी ट्रान्सपोर्ट नगर, अलवर –प्रार्थीगण

बनाम

01– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील व जिला अलवर –अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक: 14.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नामान्तकरण संख्या 91/1 दिनांक 30.02.1993 आराजी खसरा नम्बर 964 दर्ज किया गया है। सम्वत 2020 में 964 के स्थान पर 784 एवं हाल बन्दोबस्त में 784 का नया नम्बर 1486 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम चिकानी तहसील व जिला अलवर बना है। मा० राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 10.04.1974 व राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.1970 की पालना में इंतकाल संख्या 91/1 दिनांक 30.02.1993 को तहसीलदार अलवर द्वारा दर्ज किया गया। तहसीलदार ने नामान्तकरण में जो नम्बर दर्ज थे उन्ही खसरा नम्बरों को दर्शित करते हुए दर्ज कर दिया जबकि उन्हे वर्तमान खसरा नम्बर 784 दर्ज करना चाहिए था। क्योंकि नामान्तकरण तसदीक होते समय आराजी खसरा नम्बर 964 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का नया नम्बर 784 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कायम हो गया। साबिक खसरा नम्बर इंतकाल में दर्ज हो जाने के कारण रिकार्ड जमाबन्दी में अमल नही हो सका। आराजी खसरा नम्बर 784 पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त है। हाल खसरा नम्बर 1486 रकबा 0.46 है० गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का 40–50 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। गलत इन्द्राज हो जाने से प्रार्थीगण के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रार्थीगण ने पूर्व में भी उपजिलाधीश महोदय अलवर को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2011 को पेश किया था। जनसुनवाई के दौरान उप तहसीलदार बहादरपुर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर जांच के निर्देश कलक्टर महोदय द्वारा दिये गये थे, जिसकी पालना में पटवारी हल्का चिकानी से जांच कराई गई। पटवारी हल्का चिकानी की जांच रिपोर्ट दिनांक 26.07.2018 को अवलोकन किया। उपरोक्त रिपोर्ट अवलोकन करने के उपरान्त कलक्टर महोदय

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट पर ही उपतहसीलदार बहादरपुर को लिखित निर्देश दिया की 136 एल.आर.एक्ट में एस.डी.कोर्ट में वाद दायर करे। आज तक उपरोक्त निर्देश पर कोई कार्यवाही नही हुई। उपतहसीलदार बहादरपुर द्वारा कोई वाद दायर नही किया गया। नामान्तकरण संख्या 91/1 दिनांक 30.02.1993 में गलत नम्बर दर्ज होने से उसका अमल जमावन्दी में नही हो पा रहा है जिससे प्रार्थीगण के हकूक जायल हो रहे है। कानूनन उक्त इंतकाल में हाल नम्बर दर्ज होने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दुरूस्त फरमाया जाना न्याय संगत होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में पेश हुई।

प्रार्थी सतीश कुमार उपस्थित। प्रार्थी के आदेशिका पर अंगूठा निशानी कराये गये। उपतहसीलदार बहादरपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उपतहसीलदार, बहादरपुर ने रिपोर्ट दिनांक 14.12.2021 में अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 91/1 चूँकि भू प्रबन्ध सम्बत 2051 के दौरान का है ओर उक्त नामान्तरकरण में अंकित खसरा नम्बर 964 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा सम्वत 2020 से पूर्व का है। जिस कारण उक्त नामान्तकरण का अमल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में नही किया गया। चूँकि नामान्तकरण संख्या 91/1 में खसरा नम्बर 784 रकवा 1 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 964 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा गलत अंकित किया गया। सर्वप्रथम खसरा नम्बर 964 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 784 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा दुरूस्त किया जाना उचित बतलाया है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उप तहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट पर मनन करते हुए प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। उप तहसीलदार बहादरपुर को आदेश दिये जाते है कि नामान्तकरण संख्या 91/1 दिनांक 30.02.1993 में आराजी खसरा नम्बर 964 दर्ज किया गया है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 784 एवं हाल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में खसरा नम्बर 784 के स्थान पर 1486 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम चिकानी तहसील अलवर को दुरूस्त कर कागजात माल में अमल दरामद करे। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)